

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूची में नयी श्रेणियों का शामिल किया जाना

1346. श्री अजीत जोगी : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या हाल ही में, असम, मध्य प्रदेश तथा देश के अन्य राज्यों से आदिवासियों और हरिजनों की वर्तमान सूची में कुछ नए वर्गों को शामिल करने की मांग कतिपय असासकीय संस्थाओं और जनप्रतिनिधियों द्वारा फिर से की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में सरकार का क्या दृष्टिकोण है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति श्रीराव) : (क) से (ग) विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में व्यापक संशोधन करने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं। उसके अतिरिक्त, संविधान के अनुच्छेद 341(2) तथा 342(2) को ध्यान में रखते हुए, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की वर्तमान सूचियों में संशोधन केवल संसद के अधिनियम के द्वारा ही किया जा सकता है। इस स्तर पर, और अधिक जानकारी नहीं बताई जा सकती।

आदिवासियों से कृषि उत्पाद की सीधी खरीद

1347. श्री अजीत जोगी : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ट्राइफेड (टी.आर.आई.एफ. ई.डी.) द्वारा किन-किन लघु वनोपजों की आदिवासी से सीधी खरीद की व्यवस्था की गई है ;

(ख) ट्राइफेड द्वारा सीधी खरीद किए जाने से आदिवासियों को कितना अधिक लाभ होने की संभावना है ; और

(ग) ट्राइफेड ने अपने प्रारंभ होने के बाद से मध्य प्रदेश के किन-किन जिलों में कार्य किया है और इससे प्रदेश के कुल आदिवासियों में से कितने प्रतिशत आदिवासियों को लाभ हुआ है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति श्रीराव) : (क) से (ग) ट्राइफेड ने चालू वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश के बस्तर जिले के आदिवासियों से इमली तथा हिलब्रूम के लघु वन उत्पाद मद सीधे खरीदने का निश्चय किया है। राज्य सरकार के विशिष्ट अनुरोध पर ट्राइफेड ने विपणन हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया है। आदिवासियों को उचित मूल्य का आश्वासन देते हुए, निजी व्यापारियों द्वारा प्रभावी मूल्यों में वृद्धि करते हुए ट्राइफेड द्वारा सीधे क्रय से उन्हें और अधिक लाभ हो सकता है। इस प्रकार संपूर्ण जिले के आदिवासियों को संघ के कार्यों से लाभ हो सकता है।

वनोपज के व्यापार में बिचौलियों द्वारा शोषण किया जाना

1348. श्री अजीत जोगी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कतिपय लघु वनोपजों के राष्ट्रीयकरण के बावजूद उनकी खरीद मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में परोक्ष रूप से अब भी बिचौलियों द्वारा ही की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रथा को रोक्ने के लिए क्या उपाय लिए जा रहे हैं ; और

(ग) क्या लघु वनोपजों के व्यवसाय में हो रहे शोषण को रोक्ने के लिए सरकार द्वारा कोई नये कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) से (ग) तक जानकारी एतद की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।